रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30072020-220773
CG-UP-E-30072020-220773

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/ श्रावण 7, 1942
No. 297] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

Hkkjrh; vUrnZs'kh; tyekxZ izkf/kdj.k
vf/klwpuk
नौएडा, 29 जुलाई, 2020

la- Hkkvtik@dkxk@184@2009@[k.M&II–भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 17 के साथ पठित धारा 35 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्‌ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1. (1) इन विनियमों को भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्‌ग्रहण और संग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
   (2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्‌ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 (इसके पश्चात् कथित विनियम के रूप में संदर्भित), खण्ड (गक) के पश्चात् विनियम 2 में निम्नलिखित खण्डों को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :–

'(गख) ''रो–रो जलयान'' का अर्थ है पहिएदार कार्गो को ढोने के लिए बनाया गया जलयान, जिसे जलयान पर बने रैंप के साथ अपने पहियों पर जलयान पर चढ़ाया और उतारा जा सके, जो अपनी पंजीकृत क्षमता के अनुसार यात्रियों को भी वहन कर सके :–

3. इन कथित विनियमों में, विनियम 4 में, खण्ड (ख) में,''शुल्कों'' शब्द के पश्चात ''और प्रभारों'' शब्दों को अन्तर्विष्ट किया जाएगा।
4. इन कथित विनियमों में, अनुसूची–I और अनुसूची–II के लिए निम्नलिखित अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

vulph I

{विनियम 4(क) देखें}

(सभी टर्मिनलों के लिए जलमार्ग उपयोग प्रभार, जलयान संबंधी प्रभार और संयुक्त प्रभार)

¼A½ tyekxZ mi;kx iHkkj

Ø-l-	lok dk uke	iHkkj ¼#i;k e½
1.	कार्गो जलयानों का संचलन	शून्य
2.	यात्री अथवा क्रूज जलयानों का संचलन	शून्य
2. (क)	रो–रो जलयानों का संचलन	शून्य
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान का संचलन	शून्य

टिप्पणी : जलमार्ग उपयोग प्रभारों की समीक्षा भारतीय अन्तर्देषीय जलमार्ग प्राधिकरण के परामर्ष से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् की जाएगी।

¼AA½ ty;ku lEc) iHkkj

Ø-l-	lok dk uke	iHkkj ¼#i;k e½
1.	बर्थिंग प्रभार	रो–रो जलयानों के अलावा सभी जलयानों हेतु : (i) 3000/– कोलकाता (जीआर जेट्टी–I, जीआर जेट्टी–II और बीआईएसएन) के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु – प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (ii) 1500/–सभी भाअजप्रा टर्मिनलों के लिए (उपर्युक्त बिन्दु (i)में उल्लिखित के अलावा) चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु – प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (iii) 500/–सभी भाअजप्रा अस्थाई पांटूनों के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु – प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। रो–रो जलयानों के लिए : (i) 100/– प्रति घंटा अथवा उसके किसी भाग हेतु सभी भाअजप्रा टर्मिनलों के लिए अथवा रु. 1500/– प्रति 24 घंटे,इनमें जो भी कम हो।
2.	टोएज	विशेष अनुरोध पर वास्तविक लागत के अनुरूप।
3.	पायलटेज	750/– प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति पायलट।

¼AAA½ l;qä iHkkj

Ø-l-	lok dk uke	iHkkj ¼#i;k e½
1.	वृहत आकार के कार्गो (ओडीसी) का संचलन	1.50/– प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर*, राष्ट्रीय जलमार्गों 1, 2, 3, 4 और भारतीय क्षेत्र के भीतर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग हेतु।
*ओडीसी प्रभारों का भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता को जलमार्ग प्रभारों और जलयान से सम्बद्ध प्रभारों से मुक्त रखा जाएगा।		

टिप्पणी : सभी राष्ट्रीय जलमार्गों अथवा उसके भाग जो भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में शामिल हैं पर भी संयुक्त प्रभार प्रयोज्य किए जाएंगे।

***

vulph AA

{विनियम 4(ख)(i) देखें}

{अनुसूची III में विषेष रुप से उल्लिखित टर्मिनलों के अतिरिक्त अन्य टर्मिनलों के लिए शुल्क (जलमार्ग उपयोग प्रभारों, जलयान से सम्बद्ध प्रभारों और संयुक्त प्रभारों के अलावा)}

¼A½ dkxks lEc) iHkkj

Ø-l-	lok dk uke	iHkkj ¼#i;k e½
1.	Vfeuy iHkkj	
(i)	शुष्क कार्गो	1/– प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	तरल कार्गो	1/– प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(iii)	कंटेनर कार्गो	50/– प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 75/– प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) के लिए
2-	ikjxeu 'kM iHkkj	(क) प्रथम तीस दिनों के लिए निःषुल्क (ख) 5/–प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए (ग) 10/– प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए

		(घ) 40 / — प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त अठावन दिनों के पश्चात्, अच्छादित क्षेत्र अथवा पारगमन शेड अथवा प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटा देगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन–प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
3-	[kqys LFkku ij HkaMkj.k izHkkj	
(i)	हार्ड स्टैंड	(क) प्रथम तीस दिनों के लिए निः"षुल्क (ख) 2 / — प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए (ग) 4 / — प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए (घ) 16 / —प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त अठावन दिनों के पश्चात्, हार्ड स्टैंड अथवा प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटा देगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन–प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
(ii)	खुले क्षेत्र में	(क) प्रथम तीस दिनों के लिए निःषुल्क (ख) 1 / — प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए (ग) 2 / — प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अगले चौदह दिनों के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए (घ) 8 / —प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त अठावन दिनों के पश्चात्, खुले क्षेत्र अथवा प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटा देगा और निस्तारण कर देगा। (प्रतिदिन–प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)

¼AA½ fofo/k izHkkj

Ø-la-	lsok dk uke	izHkkj ¼#i;ks esa½
1.	क्रेन (पंटून क्रेन सहित) भाड़ा प्रभार	800 / — आठ घंटे की प्रति पाली हेतु पाँच मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए। 2000 / — आठ घंटे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए। 2500 / — आठ घंटे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की क्रेनों के लिए।
2.	कंटेनर क्रेन	1100 / — प्रति घंटे अथवा उसके किसी भाग के लिए।
3.	फोर्क लिफ्ट	600 / — आठ घंटे की प्रति पाली हेतु तीन मीट्रिक टन तक की क्षमता की फोर्क लिफ्ट के लिए।
4.	जलयान की विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड अथवा प्राधिकरण की वास्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित।
5.	ईंधन / पेट्रोलियम तेल ल्युब्रिकेन्ट्स की बंकरिंग	बाजार दर एवं अधिभार, परिवहन इत्यादि के अनुरूप
6.	जल आपूर्ति	300 / — प्रति किलोलीटर
7.	मल निस्तारण	100 / — प्रति किलोलीटर
8.	माप–तौल	5 / — प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम 50 / — तौल प्रमाण पत्र जारी करनाः पच्चीस रुपए प्रति वाहन
9.	पांटून किराया प्रभार	1000 / — प्रतिदिन अथवा उसके किसी भाग के लिए।

कर्नल मनीश पाठक, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./154/2020-21]

fVIi.kh ¼ मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुआ, कृपया देखें सं. भाअजप्रा / कार्गो / 184 / 2009 और इसके पश्चात् दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को संशोधित हुआ, कृपया देखें सं. भाअजप्रा / पीआर–17 / आईएफसी / (आईएनटीजी) / 2015 / खण्ड–IV।

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Noida, 29th July, 2020

No. IWAI/Cargo/184/2009/Vol-II.— In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 17 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Regulations, 2011, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) (Amendment) Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) Regulations, 2011 (herein after referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (ca), the following clause shall be inserted, namely:-

   '(cb) "Ro-Ro Vessel" means a vessel designed to carry wheeled cargo that are driven on and off the vessel on their own wheels with an in-built ramp on the vessel, which may also carry passengers as per their registered capacity;'

3. In the said regulations, in regulation 4, in clause (b), after the word "fees", the words "and charges" shall be inserted.

4. In the said regulations, for Schedule I and Schedule II, the following schedules shall be substituted, namely:-

Schedule I

[See regulation 4 (a)]

(For Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges for all terminals)

(I) Waterway usage charges

Sl. No	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Movement of cargo vessels	NIL
2.	Movement of passenger or cruise vessels	NIL
2 (a).	Movement of Ro-Ro vessels	NIL
3.	Movement of any other vessel not covered in above categories	NIL

Note: The Waterways usage charges shall be reviewed in consultation with the Inland Waterways Authority of India after three years from the date of publication of this notification.

(II) Vessel related charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Berthing charges	For all vessels except Ro-Ro vessels: (i) 3000/- for Kolkata (GR Jetty-I, GR Jetty-II and BISN) for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day. (ii) 1500/- for all IWAI terminals (except those mentioned in point (i) above) for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day. (iii) 500/- for all IWAI temporary pontoons for twenty-four hours or part thereof – 6AM to 6AM next day.

		For Ro-Ro vessels: (i) 100/- per hour or part thereof for all IWAI terminals or Rs1500/- for 24 hours whichever is lesser.
2.	Towage	On specific request as per actual cost.
3.	Pilotage	750/- per day or part thereof per pilot.

(III) Composite charges

Sl. No	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Movement of Over Dimensional Cargo (ODC)	1.50/- per metric ton per kilometer* for use of National Waterways 1, 2, 3, 4 and Indo-Bangladesh Protocol Route within Indian Territory
*A user paying ODC charges shall be exempted from payment of waterway charges and vessel related charges.		

Note: Composite charges shall also be applicable on all National Waterways or part thereof which are included in the Indo-Bangladesh Protocol Route.

***

Schedule II

[See regulation 4 (b)(i)]

{Fees (other than Waterways usage charges, Vessel related charges and Composite charges) for terminals other than those specifically mentioned in Schedule III}

(I) Cargo related charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	**Terminal Charges**	
(i)	Dry cargo	1/- per ton or part thereof
(ii)	Liquid cargo	1/- per ton or part thereof
(iii)	Containerised cargo	50/- per twenty-foot equivalent unit (TEU) and 75/- per forty-foot equivalent unit (FEU)
2.	**Transit shed charges**	(a) Free for first thirty days (b) 5/- per metric ton per day or part thereof for next fourteen days (c) 10/- per metric ton per day or part thereof for further fourteen days (d) 40/- per metric ton per day or part thereof after fifty eight days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the covered area or transit shed or premises and to recover due payment. (Per day – 6AM to 6AM next day)

3.	**Open storage charges**	
(i)	Hard stand	(a) Free for first thirty days (b) 2/- per metric ton per day or part thereof for next fourteen days (c) 4/- per metric ton per day or part thereof for further fourteen days (d) 16/- per metric ton per day or part thereof after fifty eight days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the hard stand or premises and to recover due payment. (Per day – 6AM to 6AM next day)
(ii)	On open area	(a) Free for first thirty days (b) 1/- per metric ton per day or part thereof for next fourteen days (c) 2/- per metric ton per day or part thereof for further fourteen days (d) 8/- per metric ton per day or part thereof after fifty eight days and the cargo shall be caused to be removed without notice and disposed off by the Authority at the risk and cost of the owner to vacate the open area or premises and to recover due payment. (Per day – 6AM to 6AM next day)

(II) Miscellaneous charges

Sl. No.	Name of the service	Charges (in Rupees)
1.	Crane (including pontoon crane) hire charges	800/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity up to five metric tons.
		2000/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity up to twenty metric tons.
		2500/- per shift of eight hours for the cranes of the capacity of more than twenty metric tons.
2.	Container crane	1100/- per hour or part thereof
3.	Fork lift	600/- per shift of eight hours for the fork lift of the capacity up to three metric tons.
4.	Electric supply to the vessel	As per the actual rates of the Electricity Board or Authority including surcharge.
5.	Bunkering of fuel/petroleum oil lubricants	As per market rate and surcharge, transport etc.
6.	Water supply	300/- per kilolitre
7.	Sewage disposal	100/- per kilolitre

8.	Weighing scale	5/- per metric ton . Minimum 50/- Issue of weight certificate : Rupees twenty five per vehicle
9.	Pontoon Hire Charges	1000/- per day or part thereof

COL. MANISH PATHAK, Secretary
[ADVT.-III/4/Exty.154/2020-21]

Note:- The principal regulations were published in Gazette of India on dated the 16th July, 2011 vide no. IWAI/Cargo/184/2009 and subsequently amended vide no. IWAI/PR-17/IFC/(INTG)/2015/Vol. IV dated the 20th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.07.30 21:25:48 +05'30'